

बिना किसी वैध मेडिकल प्रमाण पत्र के हास्पिटल संचालित करने व गैर इरादतन हत्या के मामले में

01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 113/20 धारा 188 / 270 / 304 / 316 / 420 / 504 / 506 भा0द0वि0 व 52 आपदा प्रबन्धन अधिनियम तथा 15 इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट में वाँछित अभियुक्तगण नाम पता 1- आशाबहु श्रीमती माया देवी पत्नी राकेश निवासी थरौली थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर 2- फरहत परवीन पुत्री शोएब अहमद 3- शोएब अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासीगण खजुरिया पिपरी बाजार थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया । विदित हो कि अभियुक्त गण द्वारा दिनांक 13.05.2020 को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए वादी को गुमराह करके लापरवाही पूर्वक प्रसवपूर्व ही पेट से बच्चे को निकाल लिया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी तथा अभियुक्तगण द्वारा बिना किसी वैध मेडिकल प्रमाण पत्र के हास्पिटल संचालित किया जा रहा था । जिसके सम्बन्ध में थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आज दिनांक 15.02.2021 को उक्त सभी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री सौरभ मिश्रा, का0 आलोक पाल, का0 उत्तम, म0का0 सिन्धु चौहान, म0का0 प्रिया सिंह ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 09 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता रामउजागिर पुत्र जानकी चौधरी निवासी नौरंगिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी तामेश्वरनाथ उ0नि0 श्री सतेन्द्र यादव मय हमराह ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 07 वारण्टी नाम पता 1- पप्पू पुत्र गुलाब निवासी दुर्गजोत 2- प्रेमचन्द पुत्र रामबरन निवासी खरवनिया 3- नूरुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी अमरडोभा 4- पुल्लु पुत्र भूरे 5- झिनकान पुत्र भूरे 6- मनोज पुत्र भूरे 7- छिल्लू पुत्र भूरे निवासीगण मंझरिया पठान थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी दुर्गजोत उ0नि0 प्रमोद यादव मय हमराह ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता बैजू पुत्र पुल्लू निवासी मरवटिया थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नत्थू प्रसाद, हे0का0 बृजेश ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत नाथनगर से इवेन्ट संख्या 11087 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 08 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु जरिये एम्बुलेंस सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया तथा दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आरक्षी विनोद ओझा, आ0 वीरेन्द्र कुमार चौधरी, हो0चा0 संजीव कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 48 वाहनो से 44000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 48 वाहनो से 44000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।